ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न0–1, सैक्टर–के0 पी0–4, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0) ।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in

पत्रांक– 125 / अर्बन सर्विस / 2018–19 ग्रे0 नौ0 दिनांकः 23 अप्रैल, 2018

प्रबन्धक सिस्टम

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में जन सामान्य के प्रयोजनार्थ तथा प्राधिकरण की भूमि / स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु स्थल पर अतिक्रमणकर्ताओं पर जुर्माना लगाने एवं जब्त सामान पर अर्थदण्ड लगाने के लिए प्रभारी / वरिष्ठ प्रबन्धक (अतिक्रमण प्रकोष्ठ) को अधिकृत किया जाता है। अर्थदण्ड से प्राप्त धनराशि को प्राधिकरण के सम्बन्धित खाते में जमा काराया जायेगा। अतिक्रमण उनमूलन के दौरान जब्त किये गये सामान के रख–रखाव की सम्पूर्ण व्यवस्था / सुरक्षा स्टोर प्रभारी एवं पुलिस निरीक्षक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा की जाायेगी एवं अतिक्रमण उनमूलन से जब्त किये गये सामान को एक वर्ष के उपरान्त नीलाम करने हेतु प्रभारी / वरिष्ठ प्रबन्धक (अतिक्रमण प्रकोष्ठ) द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अतिक्रमण उनमूलन से जब्त किये गये सामान को निम्नानुसार अर्थदण्ड जमा कराये जाने के पश्चात स्टोर प्रभारी / पुलिस निरीक्षक, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा स्टोर से जब्त सामान को अवमुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

अनाधिकृत अतिक्रमण हेतु अर्थदण्ड लगाये जाने की संशोधित दरें निम्नवत अनुमोदित की गई हैं–

क. स.	जब्त सामान का नाम / विवरण	अनुमोदित दरें (रू0 में)
1.	बैंच, मेज एवं अनुरूप सामान	1000.00
2.	रेहडी / ठेला	1500.00
3.	पान का खोखा	
	(क) यदि खोखा ठेली पर बना है।	1500.00
	(ख) यदि खोखा इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का है एवं छत वाली ठेली	2000.00
4.	जूस की मशीन	
	(क) हस्तचालित	1000.00
	(ख) विद्युतचालित	2000.00
5.	पानी बेचने वाला / आईसक्रीम ठेला	1000.00
6.	कोल्हू इंजन	
	(क) केवल कोल्हू	1000.00
	(ख) मोटर / इंजन	2000.00
7.	गैस सिलेन्डर–बडा	500.00
	गैस सिलेन्डर–छोटा	250.00
8.	स्टील काउन्टर– बिना भट्टी का	2000.00
	स्टील काउन्टर– भट्टीयुक्त	3000.00
9.	ट्रेक्टर / बस / ट्रक / डम्पर एवं अन्य अनुरूप मशीन	3000.00
10.	ट्रेक्टर की ट्राली	2000.00
11.	जेनरेटर–बडा	5000.00
	जेनरेटर–छोटा	3000.00
12.	डीप फ्रीजर	5000.00
13.	फूड वैन– चार पहिया छतवाली	5000.00
	फूड वैन– बिना छतवाली	2500.00
14.	अतिक्रमण में सहयोग करने वाले व्यक्तियों / दुकानदारों / प्रतिष्ठानों पर अर्थदण्ड	10,000.00
	नोट– उपरोक्त अर्थदण्ड की दरों पर जी.एस.टी. अतिरिक्त देय होगा।	

पुनः यदि अतिक्रमणकर्ता द्वारा द्वितीय बार अतिक्रमण किया जाता है तो उपरोक्तानुसार प्रस्तावित दरों पर 50% अधिक अर्थदण्ड लगाना एवं तृतीय बार पकडे जाने पर सामान जब्ती के साथ–साथ अतिक्रमणकर्ता का फोटो खीचकर सम्बन्धित थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज करने की कार्यवाही प्रबन्धक (अतिक्रमण प्रकोष्ठ) / पुलिस निरीक्षक द्वारा की जायेगी।

1. बैनर/पोस्टर/पैम्पलेट लगाकर अतिकमण

ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थानों, सैक्टर मार्केट, बस शैल्टर, दिशा सूचकों आदि पर पोस्टर/पम्पलेट चिपकाकर/ पेन्ट करके विज्ञापन किया जाता है। इस प्रकार अतिकमण किये जाने पर प्रथम बार रू0 5000.00 तथा द्वितीय बार रू0 10000.00 जुर्माना लगाया जाना प्रस्तावित है। यदि विज्ञापन कर्ता द्वारा जुर्माना नहीं जमा किया जाता है तो वाहय विज्ञापन कर्ताओं के विरूद्ध F.I.R. दर्ज कराई जायेगी तथा प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्डों पर संचालित संस्थानों/विज्ञापन कर्ताओं के विरूद्ध F.I.R. कराने के साथ–साथ लीज–डीड निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जायेगी।

2. यूनीपोल पर विज्ञापन लगाकर अतिकमण

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अनाधिकृत यूनीपोल लगाये जाने पर अर्थदण्ड के रूप में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में रू0 117.00 प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह की आरक्षित दर निर्धारित की गई थी जिसपर निविदा भी आमन्त्रित की गई। किसी भी निविदाकार द्वारा निविदा की शर्तों को पूर्ण न किये जाने के कारण उक्त निविदायें निरस्त हो गई हैं। नोएडा प्राधिकरण द्वारा यूनीपोल पर विज्ञापन हेतु रू0 183.30 प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह निर्धारित की गई थी तथा नोएडा प्राधिकरण द्वारा उनकी निर्धारित दर रू0 183.30 प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह से अतिकमण करने वालों से अर्थदण्ड वसूल किया जा रहा है। अतः ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत रूप से यूनीपोल पर विज्ञापन करने वालों से रू0 117.00 प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह आरक्षित दर से ही अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

4. जन सामन्य के प्रयोजनार्थ/प्राधिकरण की भूमि पर वाहनो को बिकी हेतु खडा करके अतिकमण करना

यह देखा जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा में जन सामन्य के प्रयोजनार्थ/प्राधिकरण की भूमि पर अतिकमण कर्ताओं द्वारा बिकी हेतु वाहनों को पार्क करके रखा जाता है। इससे प्राधिकरण की भूमि पर अनाधिकृत अस्थाई कब्जा बना रहता है। अतः खाली भूमि को अस्थाई तौर पर किराये पर दिये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित दर रू0 2500.00 प्रति दिन की दर के आधार पर उक्त अतिकमणकर्ता से रू0 2500.00 प्रति दिन की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

उपरोक्त सभी प्रकरणों में सर्वप्रथम अतिकमणकर्ता को प्रधिकरण द्वारा अतिकमण हटाने तथा/अथवा निर्धारित अर्थदण्ड जमा कराये जाने हेतु तीन नोटिस जारी किये जायेंगे। उक्त नोटिस के प्रतिफल में यदि सम्बन्धित अतिकमणकर्ता द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि जमा नहीं करायी जाती है तो उक्त अतिकमणकर्ता के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा F.I.R. दर्ज करा दी जायेगी।

उक्त दरें वर्ष 2018–19 हेतु मान्य होंगी तथा दरों का पुनिरीक्षण छः माह पश्चात किया जा सकता है।

(डा0 विभा चहल)
विशेष कार्याधिकारी

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (टी0/जी0) को अवलोकनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ।
4. समस्त वर्क सर्किल प्रभारियों को सूचनार्थ।
5. प्रभारी (अर्बन सर्विस) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी (एसेट) को, अतिकमण से सामान जब्तीकरण रसीद बुक मुद्रित कराकर उपलब्ध कराने हेतु।
7. प्रबन्धक (सिस्टम) को, उक्त कार्यालय आदेश को प्राधिकरण की वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।
8. पुलिस निरीक्षक, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कार्याधिकारी

(डा0 विभा चहल)